संख्या–2011/14–2–2018–800(34)/2018

प्रेषक,

आशीष तिवारी,
विशेष सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

मुख्य वन संरक्षक (केन्द्रीय),
भारत सरकार पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय,
क्षेत्रीय कार्यालय, केन्द्रीय भवन, पंचम तल,
सेक्टर एच अलीगंज विस्तार,
उ0प्र0 लखनऊ।

वन एवं वन्यजीव अनुभाग–2 **लखनऊ, दिनांक 16 मई, 2018**

विषय :– कानपुर में एन0एच0–91 किमी0 356 से 414 तक (मित्रसेनपुर से कानपुर मार्ग) 04 लेन चौड़ीकरण हेतु प्रभावित 93.975 हे0 संरक्षित वनभूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं उस पर अवस्थित 4800 वृक्षों व 17 पौधों के पातन की अनुमति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक कृपया अपने पत्र संख्या–8बी/यूपी/06/24/2018/एफसी/199 दिनांक 23.03.2018 का सन्दर्भ ग्रहण करें, जिसके माध्यम से विषयगत प्रकरण में की गई कतिपय आपत्तियों का निराकरण कर संशोधित सूचनाएं/अभिलेख उपलब्ध कराये जाने की अपेक्षा की गई है। तत्क्रम में मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उ0प्र0 लखनऊ के पत्र सं0–4059/एनएच–91–कानपुर/26890/2017 दिनांक 15.05.2018 द्वारा कमियों का निराकरण कर संशोधित प्रस्ताव 02 प्रतियों में शासन को उपलब्ध करायी गई है।

2– अतएव मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उ0प्र0 लखनऊ के पत्र दिनांक 15.05.2018 द्वारा उपलब्ध कराये गये संशोधित प्रस्ताव की एक प्रति संलग्नकर प्रेषित करते हुए मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया विषयगत प्रकरण में अग्रेतर कार्यवाही कराने का कष्ट करें।

संलग्नक : यथोक्त।

भवदीय,

(आशीष तिवारी)
विशेष सचिव।

संख्या–2011(1)/14–2–2018–तददिनांक।

प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

3. मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उ0प्र0 लखनऊ।
4. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(डॉ0 दीपक कोहली)
अनुसचिव।

Data D. SO.Nodal.GOI Letter